

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(7)चिस्वा/2/2009

जयपुर, दिनांक : 25.06.2010

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर निम्नांकित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध उप निदेशक एवं समकक्ष पदों पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि
1.	डॉ. सुबोध कुमार अग्रवाल (सेवानिवृत्त)	18.02.1950
2.	डॉ. आशा गुरनानी	14.10.1950
3.	डॉ. सुरेश चन्द सोमानी	05.11.1950
4.	डॉ. प्रेरणा सांखला	10.10.1953
5.	डॉ. बाल किशन अग्रवाल	25.07.1953
6.	डॉ. मनमोहन पुरोहित (सेवानिवृत्त)	15.05.1949
7.	डॉ. तनसुख चौधरी (सेवानिवृत्त)	01.04.1950
8.	डॉ. भादू राम मेघवाल (अजा) (स्वर्गवास दिनांक 07.08.2009)	07.03.1953
9.	डॉ. प्रेमरतन वाल्मीकी (अजा)	21.09.1952
10.	डॉ. रतनलाल बंशीवाल (अजा)	18.02.1953
11.	डॉ. ब्रजमोहन बैरवा (अजा)	15.04.1953
12.	डा. जुगल किशोर छापरवाल (स्वेच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 01.10.2009)	30.01.1953
13.	डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल (सेवानिवृत्त)	01.01.1950
14.	डॉ. डी. के. शर्मा	17.08.1953
15.	डॉ. विकास चन्द नैनीवाल (अजा)	07.11.1954
16.	डॉ. महेन्द्र सिंह बुन्देल (अजा)	28.09.1951
17.	डॉ. रमेश चन्द आहरी (अजजा) (सेवानिवृत्त)	09.01.1950
18.	डॉ. झम्मन लाल वर्मा (अजजा)	13.04.1952
19.	डॉ. श्रीमोहन मीणा (अजजा)	20.07.1954
20.	डॉ. ओम प्रकाश मीणा (अजजा)	30.05.1954
21.	डॉ. रामनिवास मीणा (अजजा)	01.06.1951
स्वास्थ्य पक्ष		
22.	डॉ. ओ. पी. थाकन	15.05.1963

23.	डॉ. प्रशान्त कुमार (अजा)	14.11.1961
24.	डॉ. रवि प्रकाश माथुर	27.09.1963
25.	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	21.02.1965

उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	डॉ. आशा गुरनानी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर	उप अधीक्षक, जे. एल. एन. अस्पताल, अजमेर	रिक्त पद पर
2.	डॉ. सुरेश चन्द सोमानी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिवाना, बाडमेर	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.) हनुमानगढ	रिक्त पद पर
3.	डॉ. प्रेरणा सांखला	राजकीय डिस्पेंसरी, महामन्दिर, जोधपुर	उप निदेशक जोन, बीकानेर	रिक्त पद पर
4.	डॉ. बाल किशन अग्रवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	यथावत
5.	डॉ. प्रेमरतन वाल्मीकी	ई. एस. आई. के अधीन	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.), भीलवाडा	रिक्त पद पर
6.	डॉ. रतनलाल बंशीवाल	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनवा, बून्दी	उप निदेशक, आर. ए. सी., नई दिल्ली	रिक्त पद पर
7.	डॉ. ब्रजमोहन बैरवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	यथावत
8.	डॉ. डी. के. शर्मा	राजकीय डिस्पेंसरी, राजभवन, जयपुर	संयुक्त निदेशक (टी. ए. डी. पी. एच.) मुख्यालय, जयपुर के पद विरुद्ध	राजभवन डिस्पेंसरी, जयपुर में कार्य करते रहेंगे।
9.	डॉ. विकास चन्द नैनीवाल	प्राथ. स्वा. केन्द्र, नरेडा, जयपुर	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.), चित्तौड़गढ	रिक्त पद पर
10.	डॉ. झम्मन लाल वर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.), डूंगरपुर	रिक्त पद पर
11.	डॉ. श्रीमोहन मीणा	सामान्य चिकित्सालय, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.), धौलपुर	रिक्त पद पर
12.	डॉ. ओम प्रकाश मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	यथावत
13.	डॉ. रामनिवास मीणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा, टोंक	अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (प. क.), नागौर	रिक्त पद पर
14.	डॉ. ओ. पी. थाकन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	यथावत

15.	डॉ. प्रशान्त कुमार	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली, जयपुर	संयुक्त निदेशक(फ़्लड) मुख्यालय, जयपुर	रिक्त पद विरुद्ध पर
16.	डॉ. रवि प्रकाश माथुर	डब्ल्यू. एच. ओ. में प्रतिनियुक्ति पर	उप अधीक्षक, मनोचिकित्सालय, जयपुर	रिक्त पद पर
17.	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	यथावत

- नोट:-**
1. उपरोक्त चयनित अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर अधिकतम 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं इस विभाग को अवगत करायेंगे।
  2. उपरोक्त चयनित अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी की पदोन्नति फारगो करने की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।
  3. उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी। अर्थात् पदोन्नति के फलस्वरूप किये गये पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से

—ह.—  
(आर. सी. डेनवाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री जी।
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 7- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 8- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवार्य, राज.
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवार्य जोन।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी।
- 11- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 12- संबंधित चिकित्सक
- 13- कम्प्यूटर सैल।
- 14- प्रभावी सर्वर निदेशालय।
- 15- निजी/रक्षित पत्रावली।

(हरिशंकर शर्मा)  
शासन सहायक सचिव